LATEST

NEWS

Election

Date : 23rd Oct. 2025

Office of Chief Electoral Officer Rajasthan

https:/election.rajasthan.gov.in/

Follow us on:

CEORAJASTHAN

हेल्पलाइन 1950

दैनिक भास्कर
जयपुर, गुरूवार, 23.10.2025

दैनिक भास्कर जयपुर 23-10-2025

उपचुनाव : एप से कर सकेंगे शिकायत, 100 मिनट में होगी कार्रवाई

जयपुर| भारत निर्वाचन आयोग ने बारां के अंता में होने वाले उपचुनाव के लिए राज्य सरकार को आदर्श आचार संहिता के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। शिकायतों का 100 मिनट के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए उड़नदस्ते तैनात किए जाएंगे। नागरिक या राजनीतिक दल ईसीआईनेट पर सी-विजिल एप का उपयोग करके आदर्श आचार संहिता उल्लंघनों की रिपोर्ट कर सकेंगे। अब तक आई शिकायतों का निपटारा भी इसी गति से किया जा रहा है। अंता विधानसभा क्षेत्र में सी-विजिल एप का उपयोग करके 7 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से पांच शिकायतें सही पाई गईं। इन इन शिकायतों का 100 मिनट के अंदर समाधान किया गया। इसके अलावा एक शिकायत निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है, जिसमें 1950 नंबर वाला एक कॉल सेंटर भी शामिल है। इसके माध्यम से कोई भी आम नागरिक या राजनीतिक दल संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के पास अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। यह प्रणाली 24 बाय 7 उपलब्ध रहेगी। पिछले 24 घंटे में 5 लाख रुपए से अधिक की जब्ती होने से 6 अक्टूबर से अब तक 19 करोड़ 61 लाख रुपए की कुल जब्ती की जा चुकी है।

पंजाब केसरी

जयपुर, गुरूवार, 23.10.2025

पंजाब केसरी
THU,23 OCTOBER 2025
EDITION: JAIPUR, PAGE NO. 1

अंता चुनाव को लेकर जिला अधिकारियों से की बैठक

ऑब्जर्वर सुभाश्री ने किया मतदान केंद्रों और चेक पोस्टों का निरीक्षण

जयपुर,22अक्टूबर (ब्यूरो): अंता विधानसभा उपचुनाव के तहत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त जनरल ऑब्जर्वर सुभाश्री नंदा ने सोमवार को विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों एवं चेक पोस्टों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्वाचन तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी मतदान के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान नंदा ने मतदान केंद्रों पर बिजली, पानी, शौचालय, रैम्प, शेड, व्हीलचेयर एवं प्रतीक्षा स्थल जैसी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता का जायजा लिया। उन्होंने विशेष रूप से दिव्यांग मतदाताओं, वरिष्ठ नागरिकों और महिला मतदाताओं के लिए की जा रही व्यवस्थाओं की जानकारी ली तथा निर्देश दिया कि मतदान दिवस 11 नवम्बर को सभी मतदाताओं के लिए सुरक्षित एवं सुगम वातावरण सुनिश्चित किया जाए।

जनरल ऑब्जर्वर ने चेक पोस्टों का भी दौरा किया और वहां पर की जा रही वाहनों की जांच, सीसीटीवी निगरानी, वीडियोग्राफी, सामग्री की जब्ती एवं दस्तावेजीकरण प्रक्रिया का अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्वाचन नियमों की कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि पर सतर्क निगरानी रखने के निर्देश दिए।

सुरक्षा व्यवस्था की जानी प्रगति

निरीक्षण के बाद नंदा ने सर्किट हाउस बारां में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर तथा पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु के साथ बैठक की। बैठक में निर्वाचन तैयारियों, सुरक्षा व्यवस्था, संवेदनशील एवं अति संवेदनशील मतदान केंद्रो की स्थिति, फ्लाइंग स्क्वाड, एसएसटी टीमों की गतिविधियो तथा मतदाता जागरूकता अभियानों की प्रगति की समीक्षा की गई। जनरल ऑब्जर्वर ने निर्देश दिए कि सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें, ताकि 11 नवम्बर को होने वाला मतदान शांतिपूर्ण, पारदर्शी और शत-प्रतिशत मतदान वाला हो। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे पूर्ण निष्पक्षता और सजगता से संपन्न कराया जाना चाहिए। इस अवसर पर रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम अंता हवाई सिंह यादव, लाइजनिंग ऑफिसर एवं सहायक निदेशक जूही अग्रवाल, पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी उपस्थित रहे।

Times of India

New Delhi, Thursday 23.10.2025

Staggered pan-India SIR likely in a wk, 3 mths for each phase

May Be Held 1st In States Set For Polls Next Yr

Bharti.Jain @timesofindia.com

New Delhi: A staggered pan-India special intensive revision (SIR) of electoral rolls will get underway within four-five days, with each phase likely to be spread over three months, on the lines of the one completed in Bihar. The last intensive revision of the roll was undertaken over two decades ago.

Sources indicated that the nationwide SIR may be held in phases, with certain states/UTs such as J&K and Ladakh, which will soon be snow-bound, and ones where nearly 75%-80% of the electorate has been mapped by matching current electors with entries in the 2003/2004 rolls published after the last intensive revision, being left out of the initial phase.

"They can be taken up later as barely 20%-25% of electors in these states will need to submit documents to prove their eligibility as per Article 326 of the Constitution. The immediate priority will be the five states due for assembly polls next year," said an EC official.

Going by the three-month SIR schedule followed in Bihar, the final roll — to be published after claims and objections to the draft roll are settled — for states/UTs likely to be covered in the initial phase may be out by Jan-end or beginning of Feb.

The preparation for the upcoming countrywide SIR — the intent for which was announced by EC in its June 24 notification for the SIR in Bihar — was the key topic of discussion at the two-day conference of chief electoral officers being held by EC on Wednesday and Thursday.

The conference's opening day, presided over by chief election commissioner Gyanesh Kumar, saw EC assess the preparedness of all state/UT CEO offices for the nationwide SIR. The meeting is a follow-up of the Sept 10 CEO's conference, when all CEOs had briefed EC on the last SIR undertaken and the roll published thereafter.

Sources said CEOs are upbeat about the upcoming nationwide SIR, with some states already having mapped up to 75% of their electorate based on the roll from the last intensive revision.

▶Continued on P 12

AADHAAR ALONE MAY NOT SUFFICE

- ➤ **Timeline for pan-India SIR** likely to be finalised in a day or two followed by its **announcement in 4-5 days**
- ➤ **List of documents** to be accepted as proof of identity, age and citizenship to more or less **remain the same as in the Bihar exercise**
- ➤ **Aadhaar** will be accepted **only as a proof of identity.** At least **one other document** from EC's list may be needed for proof of citizenship and residence, an official said
- ➤ Documents **unique to a state/UT** may be considered
- ➤ The **list of 11 documents is not exhaustive** but only indicative, officials added

Photo: IANS

CEC Gyanesh Kumar flanked by ECs in the capital on Wednesday

Indian Express

New Delhi, Thursday 23.10.2025

EC HOLDS 2-DAY MEET WITH CEOs

Pan-India SIR set to be rolled out in phases in Nov, states headed for polls in 2026 first

Indian Express

DAMINI NATH & RITIKA CHOPRA
NEW DELHI, OCTOBER 22

THE ELECTION Commission (EC) on Wednesday met Chief Electoral Officers (CEOs) to assess preparations for the nationwide Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls, which is likely to begin in phases from early November, starting with the states going to polls in 2026 and a few others, it is learnt.

The two-day conference opened with the Commission assessing the readiness of CEOs across states and Union Territories for the SIR, the EC said. While the final rollout plan will be announced after the conference, it is learnt that the revision may be carried out in phases, beginning with Assam, Kerala, Puducherry, Tamil Nadu and West Bengal — states headed for polls next year — and a few others.

However, as first reported by

CONTINUED ON PAGE 2

• Pan-India SIR

The Indian Express on July 15, officials from Assam have already conveyed to the Commission their inclination to carry out an intensive revision of rolls only after the National Register of Citizens (NRC) is published for the state. Assam is the only state to have already undertaken the exercise of preparing an NRC. So the poll panel, it is learnt, is yet to take a final call on whether Assam will be included in the first phase.

The Indian Express has also learnt that when the modalities for the nationwide SIR are announced, the cut-off year of presumed eligibility is likely to follow the same principle as in Bihar — the last year of an intensive revision, which was 2003 for Bihar.

For the upcoming nationwide exercise, however, the EC could allow electors to submit extracts of their names from the electoral roll of any state's last intensive revision, not just the state where they currently reside. During the Bihar SIR process, electors could submit extracts only from Bihar's last intensive revision roll.

In other words, a migrant worker from West Bengal registered as a voter in Mumbai can remain enrolled in Maharashtra if he can show his name — or establish a link with a voter whose name figured — in the 2002 West Bengal electoral roll. The last intensive revision of West Bengal's rolls was in 2002, and a voter on that roll will be presumed eligible to remain on the electoral roll of any other state where he or she is currently residing.

Wednesday's meeting was the second interaction that the Commission has held with CEOs on the SIR in just over a month. At the previous meeting on September 10, the EC had asked the CEOs to trace as many electors as possible to the electoral rolls of the last intensive revision in their respective states, in order to minimise the number of voters who would need to submit documents to establish their eligibility.

It is learnt that the process of mapping the existing electors to the last intensive revision, which was between 2002 and 2008, in the respective states has faced hiccups, particularly in urban areas where migration is high.

The EC had on June 24 ordered a Special Intensive Revision of electoral rolls across the country, beginning with Bihar where Assembly elections were due. As per the order, all registered electors were required to fill enumeration forms to remain on the rolls, while those enrolled after 2003 (the year of Bihar's last intensive revision of rolls) had to submit documents proving their date and/or place of birth. This was meant to establish their eligibility as electors, including their citizenship.

The EC said Wednesday that the Commission, comprising Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar, and Election Commissioners Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi, also reviewed the status of appointment and training of district, assembly constituency and booth-level officials. At the last meeting, all CEOs had given detailed presentations on the number of electors in their states and the qualifying date and number of electors in the last intensive revision.

"The Commission assessed the progress made on the directions previously issued to the CEOs to map the current electors with the electors as per the last SIR in the State/UT," the EC said.

At the press conference to announce the Bihar Assembly elections on October 6, when asked about the pan-India SIR, the CEC had said: "If you see the June 24 order, the EC has already taken the decision of conducting a pan-India SIR. Work is on. The Commission will hold a meeting to decide the dates for states and UTs."

The EC's decision to conduct the SIR has been challenged in the Supreme Court. The move was a departure from the practice of the past two decades, where the electoral rolls have been revised annually and before polls by making additions and deletions. Prior to computerisation of rolls, the electoral rolls were revised intensively, ie, prepared afresh.

राजस्थान पत्रिका

बारां, गुरूवार, 23.10.2025

कलक्टर व एसपी ने किया संवेदनशील केन्द्रों का निरीक्षण

बारां. कलक्टर व एसपी निरीक्षण के तहत ग्रामीणों से चर्चा करते हुए।

बारां/बामला @ पत्रिका. जिला निर्वाचन अधिकारी व कलक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर एवं पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने बुधवार को अन्ता विधानसभा उपचुनाव के तहत बामला व कोटडी तुलसां स्थित संवेदनशील मतदान केन्द्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्रामीणों से मतदान के सम्बंध में चर्चा करते हुए निर्भीक होकर मतदान करने को प्रेरित किया।

जिला कलक्टर तोमर ने वल्नरेबल श्रेणी में चिन्हित बामला व कोटड़ी तुलसां के बूथों का निरीक्षण करते हुए ग्रामीणों व प्रबुद्ध जनों के साथ बैठक कर उनकी शंकाओं का समाधान किया। उन्होंने कहा कि चुनाव में मतदान दिवस पर मतदान केन्द्र व क्षेत्र में मतदाताओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस बल के कड़े इंतजाम किए जाएंगे। इस दौरान कड़ी निगरानी रखी जाएगी। मतदान में बाधा उत्पन्न करने वाले तत्वों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी मतदाता बिना किसी भय के मतदान केन्द्रों पर पहुंचकर मतदान में भाग लें तथा अन्य मतदाताओं को भी इसके लिए प्रेरित करें। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण जनों की मतदान संबंधित समस्याओं के बारे भी जानकारी ली। जिला कलक्टर ने मेघवाल बस्ती का भी दौरा करते हुए ग्रामीणों के साथ वार्ता की। इस दौरान बारां एसडीएम विश्वजीत सिंह भी मौजूद थे।

राजस्थान पत्रिका
बारां, गुरूवार, 23.10.2025

केन्द्रीय व्यय पर्यवेक्षक ने अभ्यर्थियों व राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की ली बैठक

निर्वाचन व्यय पर रहेगी सख्त निगरानी

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

बारां. अन्ता विधानसभा उप चुनाव के तहत नियुक्त व्यय पर्यवेक्षक मुकेश राठौर ने बुधवार को मिनी सचिवालय के सभागार में अभ्यर्थियों व राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक लेते हुए कहा कि स्वतंत्र निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों व लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जाए। निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव खर्च पर सख्त निगरानी रखी जाएगी।

व्यय पर्यवेक्षक राठौर ने कहा कि सभी अभ्यर्थियों व दलों को चुनावी खर्च की सीमा सहित कानूनी प्रावधानों की जानकारी रखते हुए उनकी पालना की जानी चाहिए। सभी अभ्यर्थियों को नामांकन से पूर्व बैंक खाता खुलवाते हुए सभी जमा खर्च इसी के माध्यम से किए जाने चाहिए। साथ ही इसका ब्यौरा निर्धारित रजिस्टरों संधारित किया जाना चाहिए। मुद्रित प्रचार सामग्री पर मुद्रक व प्रकाशक नाम आवश्यक रूप से हो। प्रचार सामग्री के नाम पर धोती, साड़ी व गमछा आदि का वितरण प्रतिबंधित है। चुनाव प्रचार में रैली, सभाओं की पूर्व अनुमति आवश्यक है। वाहनों पर भी अनुमति पत्र को चस्पा किया जाना चाहिए। परिणाम घोषणा के पश्चात तीस दिन की अवधि में चुनाव खर्च का सम्पूर्ण लेखा जोखा निर्वाचन विभाग को प्रस्तुत करना होगा। इस बीच इन लेखों का तीन बार निरीक्षण भी किया जाएगा।

बारां. उप चुनाव के व्यय पर्यवेक्षक बैठक लेते हुए।

इन गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य धनबल व बाहुबल का दुरूपयोग रोकना है। स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव पहली प्राथमिकता है। इसमें नियमों व प्रावधानों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक के दौरान पीपीटी के माध्यम से चुनावी व्यय से संबंधित अधिनियम व प्रावधानों तथा इनके रिकोर्ड संधारण के बारे में भी जानकारी दी गई। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी भंवरलाल जनागल व सीईओ जिला परिषद राजवीर सिंह चौधरी सहित अन्य अधिकारी व अभ्यर्थी तथा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे।

राजस्थान पत्रिका
बारां, गुरूवार, 23.10.2025

मतदान केन्द्र और चैक पोस्ट पर पहुंची ऑब्जर्वर

बारां @ पत्रिका. अंता विधानसभा उपचुनाव के तहत भारत निर्वाचन आयोग से नियुक्त जनरल ऑब्जर्वर सुभाश्री नंदा ने सोमवार को विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों एवं चेक पोस्टों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्वाचन तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी मतदान के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान नंदा ने मतदान केंद्रों पर बिजली, पानी, शौचालय, रैम्प, शेड, व्हीलचेयर एवं प्रतीक्षा स्थल जैसी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता का जायजा लिया। उन्होंने विशेष रूप से दिव्यांग मतदाताओं, वरिष्ठ नागरिकों और महिला मतदाताओं के लिए की जा रही व्यवस्थाओं की जानकारी ली तथा निर्देश दिया कि मतदान दिवस 11 नवम्बर को सभी मतदाताओं के लिए सुरक्षित एवं सुगम वातावरण सुनिश्चित किया जाए।

राजस्थान पत्रिका
बारां, गुरूवार, 23.10.2025

विज्ञापन का पूर्व अधिप्रमाणन जरूरी

बारां @ पत्रिका. अन्ता विधानसभा उप चुनाव 2025 के दौरान 11 नवम्बर को मतदान दिवस होने के तहत 10 व 11 नवम्बर को समाचार पत्रों में छपने वाले राजनैतिक दलों व उम्मीदवारों के विज्ञापनों का प्रकाशन पूर्व अधिप्रमाणन के बाद ही किया जा सकेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी राजनैतिक दल व उम्मीदवार 10 व 11 नवम्बर को प्रिन्ट मीडिया में विज्ञापन देने से पूर्व जिला स्तरीय विज्ञापन अधिप्रमाणन समिति से प्रिन्ट मीडिया के विज्ञापनों का अधिप्रमाणन ''प्री-सर्टिफिकेशन'' करवाकर ही प्रिन्ट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित करवा सकेंगे। प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों के लिए पूर्व-प्रमाणन चाहने वाले आवेदकों को विज्ञापन के प्रकाशन की प्रस्तावित तिथि से दो दिन पहले एमसीएमसी में आवेदन करना होगा। समय पर पूर्व-प्रमाणन की सुविधा के लिए रांज्य व जिला स्तर पर एमसीएमसी को सक्रिय किया गया है।

राजस्थान पत्रिका

बारां, गुरूवार, 23.10.2025

अब तक 19 करोड़ 61 लाख रुपए की राशि जब्त की

बारां @ पत्रिका. अंता विधानसभा क्षेत्र में पिछले 24 घंटे में 5 लाख रूपए से अधिक की जब्ती की गई है। टीम द्वारा 6 अक्टूबर से अब तक 19 करोड़ 61 लाख रूपए की कुल जब्ती की जा चुकी है। उप निर्वाचन अधिकारी भंवरलाल जनागल ने बताया कि अंता विधानसभा क्षेत्र में सी.विजिल ऐप का उपयोग करके कुल 7 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें से पांच शिकायतें सही पाई गई। इन इन शिकायतों का 100 मिनट के अंदर समाधान किया गया। निर्वाचन विभाग द्वारा एक शिकायत निगरानी प्रणाली स्थापित की गई हैं। जिसमें 1950 नंबर वाला एक कॉल सेंटर भी शामिल है, जिसके माध्यम से कोई भी आम नागरिक या राजनीतिक दल संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के पास अपनी शिकायत दर्ज कर सकता हैं। यह प्रणाली 24 घंटे उपलब्ध है।

राजस्थान पत्रिका
बारां, गुरूवार, 23.10.2025

अंता विधानसभा क्षेत्र के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त

बारां. निर्वाचन आयोग की ओर से अंता में विधानसभा क्षेत्र के स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव व निगरानी के लिए सामान्य, व्यय तथा पुलिस पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) रोहिताश्व सिंह तोमर ने बताया कि निर्वाचन विधानसभा क्षेत्र अंता का कोई भी आम नागरिक भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अंता विधानसभा क्षेत्र के लिए नियुक्त किए गए पर्यवेक्षक सुभाश्री नन्दा से प्रातः 10 से 11 बजे तक, मुकेश राठौर से दोपहर 2 से शाम 4 बजे तक और गगनदीप गम्भीर से (गुरुवार एवं शनिवार) 2 से शाम 4 बजे तक सर्किट हाउस बारां में निर्धारित समय व स्थान पर जिले में अंता विधानसभा उपचुनाव-2025 के पर्यवेक्षण के लिए पर्यवेक्षक से मिलकर चुनाव संबंधी किसी भी प्रकार की परिवेदना एवं समस्या के लिए सम्पर्क कर सकते है।

दैनिक भास्कर

बारां, गुरूवार, 23.10.2025

दैनिक भास्कर बारां 23-10-2025

कलेक्टर व एसपी ने संवेदनशील मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया

बारां| कलेक्टर व एसपी ने बुधवार को अंता विधानसभा क्षेत्र के संवेदनशील मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर और एसपी अभिषेक अंदासु ने बुधवार को अंता विधानसभा उपचुनाव के तहत बामला व कोटडी तुलसां स्थित संवेदनशील मतदान केंद्रों का निरीक्षण करते हुए ग्रामीणों से मतदान के संबंध में चर्चा करते हुए निर्भिक होकर मतदान करने को प्रेरित किया। कलेक्टर तोमर ने वल्नरेबल श्रेणी में चिन्हित बामला व कोटड़ी तुलसां के बूथों का निरीक्षण करते हुए ग्रामीणों व प्रबुद्ध जनों के साथ बैठक करते हुए उनकी शंकाओं का समाधान किया। उन्होंने कहा कि चुनाव में मतदान दिवस पर मतदान केंद्र व क्षेत्र में मतदाताओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस बल के कड़े इंतजाम किए जाएंगे तथा सभी प्रकार गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। मतदान में बाधा उत्पन्न करने वाले तत्वों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी मतदाता बिना किसी भय के मतदान केंद्रों पर पहुंचकर मतदान में भाग लें तथा अन्य मतदाताओं को भी प्रेरित करें। उन्होंने ग्रामीणों की मतदान संबंधित समस्याओं के बारे भी जानकारी ली। कलेक्टर ने मेघवाल बस्ती में ग्रामीणों से वार्ता की। एसडीएम विश्वजीत सिंह मौजूद थे।

दैनिक भास्कर
बारां, गुरूवार, 23.10.2025

बारां 23-10-2025

केंद्रीय व्यय पर्यवेक्षक ने अभ्यर्थियों व राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक ली, दिशा निर्देश दिए

बैठक में चुनावी व्यय से संबंधित अधिनियम, प्रावधानों तथा इनके रिकॉर्ड संधारण के बारे में भी जानकारी दी

बारां| अंता विधानसभा उप चुनाव के तहत नियुक्त व्यय पर्यवेक्षक मुकेश राठौर ने बुधवार को मिनी सचिवालय में अभ्यर्थियों व राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों व लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जाए। निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव खर्च पर सख्त निगरानी रखी जाएगी।

व्यय पर्यवेक्षक राठौर ने कहा कि सभी अभ्यर्थियों व दलों को चुनावी खर्च की सीमा सहित कानूनी प्रावधानों की जानकारी रखते हुए उनकी पालना की जानी चाहिए। सभी अभ्यर्थियों को नामांकन से पूर्व बैंक खाता खुलवाते हुए सभी जमा खर्च इसी के माध्यम से किए जाने चाहिए। साथ ही इसका ब्यौरा निर्धारित रजिस्टरों संधारित किया जाना चाहिए। मुद्रित प्रचार सामग्री पर मुद्रक व प्रकाशक नाम आवश्यक रूप से हो। प्रचार सामग्री के नाम पर धोती, साड़ी व गमछा आदि का वितरण प्रतिबंधित है। चुनाव प्रचार में रैली, सभाओं की पूर्व अनुमति आवश्यक है। वाहनों पर भी अनुमति पत्र को चस्पा किया जाना चाहिए। परिणाम घोषणा के पश्चात तीस दिन की अवधि में चुनाव खर्च का संपूर्ण लेखा जोखा निर्वाचन विभाग को प्रस्तुत करना होगा। इस बीच इन लेखों का तीन बार निरीक्षण भी किया जाएगा। इन गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य धनबल व बाहुबल का दुरूपयोग रोकना है। स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव पहली प्राथमिकता है, इसमें नियमों व प्रावधानों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक के दौरान पीपीटी के माध्यम से चुनावी व्यय से संबंधित अधिनियम व प्रावधानों तथा इनके रिकॉर्ड संधारण के बारे में भी जानकारी दी गई। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी भंवरलाल जनागल व सीईओ जिला परिषद राजवीर सिंह चौधरी सहित अन्य अधिकारी व अभ्यर्थी तथा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे।

बारां. केंद्रीय व्यय पर्यवेक्षक ने अभ्यर्थियों व राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक ली।

वहीं, संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी के निर्देश

बारां| भारत निर्वाचन आयोग की ओर से अंता विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव के लिए नियुक्त व्यय पर्यवेक्षक मुकेश राठौर ने बुधवार शाम चुनाव व्यय प्रकोष्ठ के अधिकारियों की बैठक लेते हुए स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के लिए संदेहास्पद गतिविधियों पर 24 घंटे निगरानी रखने तथा संदिग्ध सामग्री को जब्त करने के निर्देश दिए हैं।

व्यय पर्यवेक्षक ने मिनी सचिवालय में आयोजित बैठक में कहा कि निर्वाचन ने शुचिता बनाए रखने के लिए संदिग्ध गतिविधियों पर गहन व सतत निगरानी अति आवश्यक हैं। सभी प्रवर्तन एजेंसियां सतर्क व संवेदनशील रहकर अपने दायित्वों को पूर्ण करें तथा किसी भी प्रकार की जब्ती होने पर अविलम्ब रिपोर्टिंग करें। आबकारी विभाग इन दिनों मदिरा की खपत पर विशेष निगरानी रखे तथा इसके विक्रय में बढ़ोतरी को संदिग्ध मानते हुए कार्रवाई करें। साथ ही इसके स्टाक की भी जांच की जाए। बैंक भी संदिग्ध राशि के ट्रांसफर पर प्रभावी मॉनिटरिंग रखें। एफएसटी सहित सभी निगरानी दल क्षेत्र में गहनता से नजर बनाए रखें। सूचना तंत्र को मजबूत रखते हुए निरंतर जानकारी प्राप्त करते रहें। रेलवे पुलिस भी ट्रेनों में जांच व तलाशी को निरंतरता से जारी रखें। सभी विभाग आपसी समन्वय बनाते हुए कार्रवाई करें। इस दौरान उन्होंने पोस्ट ऑफिस, नारकोटिक्स, इनकम टैक्स, वाणिज्य कर विभाग, परिवहन विभाग, खनिज विभाग सहित अन्य विभागों में अब तक की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी ली। बैठक में उपजिला निर्वाचन अधिकारी भंवरलाल जनागल व सीईओ राजवीरसिंह चौधरी सहित प्रकोष्ठ के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

दैनिक भास्कर
बारां, गुरूवार, 23.10.2025

बारां 23-10-2025

अंता उपचुनाव: 21 उम्मीदवारों ने दाखिल किए 31 नामांकन, आज होगी जांच

अंता| विधानसभा उपचुनाव के लिए कुल 21 उम्मीदवारों ने 31 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। अब गुरुवार को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी।

निर्वाचन विभाग के अनुसार अंता उपचुनाव में भाजपा से मोरपाल सुमन ने 4, कांग्रेस से प्रमोद जैन भाया ने 1 व उर्मिला जैन ने 1 नामांकन पत्र दाखिल किया है। साथ ही निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने 3 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। अंता उपचुनाव में राइट टू रिकॉल पार्टी से योगेश कुमार ब्राह्मण, परिवर्तन पार्टी आफ इंडिया से राजपालसिंह शेखावत व भारतीय आमजन पार्टी(विवेकानंद) से अभयदास जांगिड़ ने नामांकन दाखिल किए हैं। साथ ही निर्दलीय के तौर पर रामपाल मेघवाल, जमील अहमद, मंजूर आलम, पंकज कुमार, पुखराज सोनेल, नरेश, दिलदार, बिलाल खान, नौशाद, बंशीलाल, नरोत्तम पारीक, सुनीता मीणा व संतोष सुमन ने नामांकन दाखिल किए है। अब गुरुवार को नामांकन की जांच के बाद उम्मीदवार 27 अक्टूबर तक नामांकन वापस ले सकेंगे।

दैनिक भास्कर
बारां, गुरूवार, 23.10.2025

दैनिक भास्कर बारां 23-10-2025

प्रिन्ट मीडिया में विज्ञापन का पूर्व अधिप्रमाणन जरूरी

भास्कर न्यूज़ | बारां

अंता विधानसभा उप चुनाव 2025 के दौरान 11 नवंबर को मतदान दिवस होने के तहत 10 व 11 नवंबर को समाचार पत्रों में छपने वाले राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों के विज्ञापनों का प्रकाशन पूर्व अधिप्रमाणन के बाद ही किया जा सकेगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी राजनीतिक दल व उम्मीदवार 10 व 11 नवम्बर को प्रिन्ट मीडिया में विज्ञापन देने से पूर्व जिला स्तरीय विज्ञापन अधिप्रमाणन समिति से प्रिंट मीडिया के विज्ञापनों का अधिप्रमाणन प्री-सर्टिफिकेशन करवाकर ही प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित करवा सकेंगे। प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों के लिए पूर्व-प्रमाणन चाहने वाले आवेदकों को विज्ञापन के प्रकाशन की प्रस्तावित तिथि से दो दिन पहले एमसीएमसी में आवेदन करना होगा। समय पर पूर्व-प्रमाणन की सुविधा के लिए राज्य व जिला स्तर पर एमसीएमसी को सक्रिय किया गया है, ताकि ऐसे विज्ञापनों की जांच और पूर्व-प्रमाणन किया जा सके।

संदेश न्यूज
बारां, गुरूवार, 23.10.2025

अंता चुनाव: केंद्रीय व्यय पर्यवेक्षक ने अभ्यर्थियों व राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक ली

उप चुनाव में निर्वाचन व्यय पर रहेगी सख्त निगरानी

संदेश न्यूज। बारां.

अन्ता विधानसभा उपचुनाव के तहत नियुक्त व्यय पर्यवेक्षक मुकेश राठौर ने बुधवार को मिनी सचिवालय के सभागार में अभ्यर्थियों व राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों व लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जाए। निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव खर्च पर सख्त निगरानी रखी जाएगी।

राठौर ने कहा कि सभी अभ्यर्थियों व दलों को चुनावी खर्च की सीमा सहित कानूनी प्रावधानों की जानकारी रखते हुए उनकी पालना की जानी चाहिए। सभी अभ्यर्थियों को नामांकन से पूर्व बैंक खाता खुलवाते हुए सभी जमा खर्च इसी के माध्यम से किए जाने चाहिए। साथ ही इसका ब्यौरा निर्धारित रजिस्टरों संधारित किया जाना चाहिए। मुद्रित प्रचार सामग्री पर मुद्रक व प्रकाशक नाम आवश्यक रूप से हो। प्रचार सामग्री के नाम पर धोती, साड़ी व गमछा आदि का वितरण प्रतिबंधित है। चुनाव प्रचार में रैली, सभाओं की पूर्व अनुमति आवश्यक है। वाहनों पर भी अनुमति पत्र को चस्पा किया जाना चाहिए। परिणाम घोषणा के पश्चात तीस दिन की अवधि में चुनाव खर्च का सम्पूर्ण लेखा जोखा निर्वाचन विभाग को प्रस्तुत करना होगा। इन लेखों का तीन बार निरीक्षण भी किया जाएगा। इन गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य धनबल व बाहुबल का दुरुपयोग रोकना है। बैठक में कई अधिकारी व राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे।